

Form-1

For Project other than nonlinear projects

Government of india

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 783/XXIV-ALC-II 2018-19

Dated...27-6-19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **0.600 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Youth Welfare and P.R.D. Dept., Tehri Garhwal for मिनी स्टेडियम निर्माण (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Jhalal village In Deoparayag Tehsil.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.600 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....,
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

Signature

(.....(सोनिका).....)

District Collector,
Tehri Garhwal

FORM-II

(For Project other than nonlinear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri

No-

Dated-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified the 0.600 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of District Youth Welfare and P.R.D. Officer, Youth Welfare and P.R.D. Dept., Tehri Garhwal (name of user agency) for मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Jhald Village in Devprayag Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.600 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....to annexur.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issues by the gram sabha of Jhald village (s) is enclosed as annexure.....to annexure.....
- (d) The discussion decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha Present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(c) of the FRA

Encl: As above.


(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(Full Name of official seal of the District Collector)


It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव scheme regarding FRA is as following .


Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.600 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


जिला पंचायत सदस्य,


वि० ६०-देवायत
तिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी,
तिहरी गढ़वाल


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मन्त्रि-मन्त्रि-मन्त्रि


जिला युवा कल्याण
एवं प्रभागीय वन अधिकारी,
तिहरी गढ़वाल


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

जिलाधिकारी,
तिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित


जिला अधिकारी
तिहरी गढ़वाल

प्रारूप—30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr./Mrs.(सोनिका.).....** I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block –Pratanagar area measuring **0.600 hect.** for **Construction of** मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-76/2017 विकास खण्ड-हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....


(सोनिका)
जिला अधिकारी
दिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-76/2017 विकास
खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, देवप्रयाग

उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल क्षेत्र में मिनी स्टेडियम हेतु आरक्षित वन भूमि त्यूणा क0सं0-01में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु 0.600 है0 आरक्षित वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, विभाग, टिहरी गढवाल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-देवप्रयाग) की दिनांक- 05-07-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री म. री. कुपूर वर्मा उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुर है :-

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. श्री <u>मनी लुपूर वंश</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. श्री <u>डी० पी० बलन</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य। |
| 3. श्री <u>मति मनीषा तिवारी</u> | स० समाज कल्याण अधिकारी, हिण्डोलाखाल | सदस्य / सचिव। |
| 4. श्री <u>जयपाल सिंह पवार</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख हिण्डोलाखाल | सदस्य। |


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण कार्य हेतु 0.600 है० वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टिहरी गढ़वाल, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु 0.600 है० वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टिहरी गढ़वाल, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि०ग०।





प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि०ग०।

प्रारूप-30.2

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देवप्रयाग
उपखण्ड स्तरीय समिति, देवप्रयाग
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक- ०५-०७-२०१७ को मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-76/2017 विकास खण्ड-हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण कार्य हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, देवप्रयाग की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती नुपूर वर्मा	उपजिलाधिकारी, देवप्रयाग	
2	श्री डी० पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग	
3	श्रीमति मनीषा तिवारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	श्री मती सुनील देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख हिण्डोलाखाल	

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का नाम- झरुड
तहसील-प्रतापनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 0.600 है0 आरक्षित वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टि0ग0, /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत झरुड द्वारा दिनांक- 18-10-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पंचायत/ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत झरुड के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टिहरी गढ़वाल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रवीन कुमार आर्य
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत झरुड
विकास खण्ड 307/49/11 (टि0ग0)

मुनीता देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य कटिगढ़ी
वि0 ख0-देवप्रयाग (टि0 ग0)



प्रमुख
क्षेत्र पंचायत-देवप्रयाग
जिला-मिर्जापुर (उत्तराखण्ड)
ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी
युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तत्तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-30.4

दिनांक 5-10-2017 को ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अहलड

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
01	सुखवीर सिंह	
02	ताजवर सिंह	
03	रुक्म सिंह	
04	विष्णु सिंह	
05	प्रेमा देवी	
06	मकानी देवी	मकाना
07	सच्चू दास	सच्चू दास
08	चन्दमा देवी	चन्दमा देवी
09	सजनी देवी	सजनी देवी
10	विमला देवी	विमला देवी
11	गणेशी देवी	गणेशी देवी
12	सुषमा देवी	सुषमा देवी
13	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
14	गबली देवी	गबली देवी
15	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
16	सुनीता देवी	सुनीता देवी
17	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
18	शोशनी देवी	शोशनी देवी
19	मंजू देवी	मंजू देवी
20	गंगा देवी	गंगा देवी
21	वैशाखी देवी	वैशाखी देवी
22	ववारी देवी	ववारी देवी
23	शाही देवी	शाही देवी
24	सत्येश्वरी देवी	सत्येश्वरी देवी
25	रेशमा देवी	रेशमा देवी
26	माया देवी	माया देवी
27	पूजा देवी	पूजा देवी
28	सरोजनी देवी	सरोजनी देवी

प्रवीण कुमार आर्य
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम अहलड
दि 5-10-2017

ग्राम पंचायत सदस्य कल्याणी
अनुसूचित-देवप्रसाद (दि० ५०)
क्षेत्र पंचायत-देवप्रसाद
निता-प्रवीण प्रताप (अध्यक्ष)

